



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249358
CG-DL-E-12102023-249358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4315]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945

No. 4315]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4486(अ).—माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 12 अक्टूबर, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान को लागू करने की तिथि के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है।

[फा. सं. ए-12026/4/2023-एडीआर]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 (33 of 2019), the Central Government hereby appoints the 12th day of October, 2023 as the date on which the provisions of section 10 of the said Act shall come into force.

[F. No. A-12026/4/2023-ADR]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.